कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव।

(आपदा–अनुभाग)

संख्या 447/सी0आर0ए0–5/कम्बल क्रय/2020–21 दिनांक 06.11.2020

शासनादेश संख्या 730/एक–10–2020–12(34)/03टी0सी0–1 राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ दिनांक 03 नवम्बर 2020 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020–21 में जनपद के गरीब/निराश्रित/असहाय कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियो को अत्याधिक ठण्ड व शीतलहरी के बचाव हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने है। उक्त के अनुपालन में जेम पोर्टल के माध्यम से कम्बल क्रय करने हेतु जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 05.11.2020 को आनलाइन खुली बिड (जेम निविदा) श्रेणी में निविदा आमंत्रित की गई है, जो दिनांक 16.11.2020 को अपरान्ह 05:30 बजे समिति के समक्ष खोली जायेगी।

जेम पोर्टल पर कम्बल क्रय करने हेतु टेक्निकल बिड–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	कम्बल की दर (रू0 में)	कम्बल की निर्धारित गुणवत्ता			
				साइज सेमी0 में		वजन किग्रा0 में	ऊन की मात्रा प्रतिशत में
				लम्बाई	चौडाई		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कम्बल आपूर्ति	8000±25% (अधिक संख्या हो सकती है)	अधिक्तम 500/–रूपयें	235 सेमी0 कम से कम	140 सेमी0 कम से कम	2.200 किग्रा0 कम से कम	70 प्रतिशत कम से कम

निविदा के सम्बन्ध में शर्ते निम्नवत हैः–

1. आपूर्ति संस्था/फर्म को इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर सम्बन्धित संस्था का नाम, कम्बल की लम्बाई, चौडाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो विक्री योग्य नही है।
2. आपूर्तिकर्ता संस्था/फर्म को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या–11/2017/523/18–2–2017–97 (ल0उ0)/2016 दिनांक 23.08.2017 द्वारा उ0प्र0 के शासकीय विभागो एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओ में सामग्री एवं सेवाओ के क्रय के लिये भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंन्ट ई–मार्केटप्लेस जेम की व्यवस्था लागू की गई है। जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओ की आपूर्ति हेतु शासनादेश संख्या–540/18–2–2017–97(ल0उ0)/2016 दिनांक 25.08.2017 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–32/2018/सी0एम0–40/18–2–2018–97(ल0उ0)/2016 दिनांक 27.09. 2018 द्वारा जेम पोर्टल से आवश्यक सामग्री/सेवाये क्रय किये जाने एवं जेम पोर्टल पर शतप्रतिशत रजिस्ट्रेशन कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
3. शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं इस सम्बन्ध मे निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेश में निर्धारित व्यवस्थानुसार कम्बलो का क्रय जेम पोर्टल से खुली निविदा के माध्यम से किया जायेगा।
4. आपूर्तिकर्ता को बिड खोलने की दिनांक को, बिड से पूर्व Advance Sample (कम्बल का सैम्पल देना होगा)।
5. विक्रेता आपूर्तिकर्ता संस्था वाणिज्यकर विभाग से (उ0प्र0 राज्य के अन्तर्गत) वैध पंजीकृत होना अनिवार्य है। पैन, टैन व जी0एस0टी0 नम्बर की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
6. ऐसी संस्था ही निविदा हेतु अधिकृत होगी जिसका टर्नओवर 1500000/–(पन्द्रह लाख रूपये) वार्षिक तथा कम से कम अनुभव 02 वर्ष का होगा।
7. उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाओ एवं श्री गॉधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) भी जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर कम्बल की खुली निविदा मे प्रतिभाग कर सकती है।
8. आपूर्तिकर्ता संस्था/फर्म द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप ही नमूना/कम्बलो की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
9. किसी भी प्रकार के विवाद निस्तारण हेतु न्यायिक क्षेत्र जनपद उन्नाव रहेगा।
10. स्वीकृत संस्था/फर्म द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत (आपूर्ति आदेश मिलने की तिथि से 03 दिन के अन्दर) कम्बलो की आपूर्ति जनपद की समस्त तहसीलो मुख्यालयो पर करना अनिवार्य है, जिसका समस्त व्यय संस्था द्वारा ही वहन किया जायेगा।
11. सेवा कर/जी0एस0टी0/प्रशासनिक व्यय का भार निविदादाता आपूर्तिकर्ता को स्वयं वहन करना होगा।
12. सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
13. आपूर्तिकर्ता को प्रमाणित संस्था से प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र देना होगा।
14. किसी भी निविदा को अस्वीकार करने तथा मात्रा को घटाने बढाने का अधिकार क्रय समिति/जिलाधिकारी महोदय का होगा।
    जेम पोर्टल पर प्राप्त जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति के समक्ष दिनांक 16.11.2020 को अपरान्ह 05:30 बजे खोली जायेगी।

(राकेश कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
उन्नाव।

संख्यासमदिनांकितः–

प्रतिलिपिः–1–जिलाधिकारी महोदय उन्नाव को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी उन्नाव (समिति सदस्य) को उक्त सूचना जनपद उन्नाव की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

3–जिला सूचना अधिकारी उन्नाव को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त सूचना/पत्र का निःशुल्क प्रकाशन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रो में कराना सुनिश्चित करे।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
उन्नाव।